संख्याः 1739/79-5-2011-29/2009टी.सी.

प्रेषक,

डी0के0 सिंह
विशेष सचिव,
उ0प्र0 शासन।

सेवा में,

शिक्षा निदेशक (बेसिक)
उ0प्र0, लखनऊ।

शिक्षा अनुभाग-5 लखनऊः दिनांकः 28 जून, 2011

विषयः **"निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009" की धारा 21 के अन्तर्गत विद्यालय प्रबन्ध समिति का गठन किये जाने संबंधी ।**

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अपने पत्र संख्या-शि0नि0बे0/डी0ई0-193/2011-12, दिनांक 27-5-2011 के संदर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि शासन द्वारा सम्यक विचारोपरान्त 'निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009" की धारा 21 के अन्तर्गत विद्यालय प्रबन्ध समिति का निम्नवत गठन किया जाता है । इस समिति का गठन गैर अनुदानित विद्यालयों के अतिरिक्त प्रत्येक विद्यालय में किया जायेगा, जो निम्नवत् होगी :-

विद्यालय प्रबन्ध समिति का गठन एवं कार्य

(1) विद्यालय प्रबन्ध समिति का गठन उसकी अधिकारिता में गैर अनुदानित विद्यालयों के अतिरिक्त प्रत्येक विद्यालय में किया जायेगा एवं प्रत्येक दो वर्ष में इस समिति का पुनर्गठन किया जायेगा।

(2) विद्यालय प्रबन्ध समिति में 15 सदस्य होगें जिनमें से 11 सदस्य बालकों के माता-पिता अथवा संरक्षक होगें:

परन्तु समिति के 50 प्रतिशत सदस्य महिलायें होगी।

(3) विद्यालय प्रबंन्ध समिति के अवशेष 04 सदस्यों में निम्न व्यक्ति होगें अर्थातः-

(क) शिक्षा अधिकार अधिनियम 2009 की धारा-2(एच) में यथा संन्दर्भ स्थानीय प्राधिकारी के निर्वाचित सदस्यों मे से एक सदस्य, का विनिश्चय स्थानीय प्राधिकारी द्वारा किया जायेगा;

(ख) एक सदस्य सहायक नर्स एवं मिडवाईफ (ए0एन0एम0) में से, लिया जायेगा जिसका विनिश्चय विद्यालय के अध्यापकों द्वारा किया जायेगा;

(ग) जिला मजिस्ट्रेट द्वारा नाम निर्दिष्ट एक लेखापरा;

(घ) एक सदस्य विद्यालय का प्रधान अध्यापक अथवा प्रधान अध्यापक की अनुपस्थिति में वरिष्ठतम अध्यापक

होगा, जो पदेन सदस्य–सचिव होगा।

(4) विद्यालय प्रबन्ध समिति के संरक्षक सदस्यों में एक–एक सदस्य अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग तथा कमजोर वर्ग के बालक के माता–पिता अथवा संरक्षक सम्मिलित होंगे।

(5) विद्यालय प्रबन्ध समिति के संरक्षक सदस्यों का चयन खुली बैठक में आम सहमति से किया जायेगा:

सदस्यों के चयन हेतु आम सदस्यों (माता–पिता/संरक्षक) की बैठक प्रधान अध्यापक द्वारा आहूत की जायेगी। विद्यालय प्रबन्ध समिति के संरक्षक/सदस्य का चयन खुली बैठक में आम सहमति से किया जायेगा परन्तु विद्यालय की प्रत्येक कक्षा के न्यूनतम एक बच्चे का माता–पिता/संरक्षक समिति में अवश्य सम्मिलित होगा। सर्वप्रथम प्रत्येक कक्षा के लिए एक माता–पिता/संरक्षक का चयन किया जायेगा। तत्पश्चात् शेष सदस्यों का चयन होगा। आम सहमति न बनने की स्थिति में चयन उन सदस्यों का होगा, जिनके पक्ष में अधिक अभिभावक हों। आवश्यकता पड़ने पर हाथ उठाकर अभिमत प्राप्त किया जा सकता है। विवाद की स्थिति में सहायक बेसिक शिक्षा अधिकारी उपस्थित होकर निराकरण करायेंगें।

(6) विद्यालय प्रबन्ध समिति अपने क्रियाकलापों के प्रबन्धन हेतु माता–पिता सदस्यों मे से एक अध्यक्ष एवं एक उपाध्यक्ष का निर्वाचन करेगी।

(7) विद्यालय प्रबन्ध समिति की बैठक माह में न्यूनतम एक बार अवश्य होगी और बैठकों का कार्यवृत्त तथा विनिश्चय उचित प्रकार से अभिलिखित किया जायेगा तथा सार्वजनिक किया जायेगा।

विद्यालय प्रबन्ध समिति के कार्य

(8) विद्यालय प्रबन्ध समिति विद्यालय की कार्य प्रणाली का अनुश्रवण, विद्यालय विकास योजना का निर्माण एवं उसकी संस्तुति तथा राज्य सरकार अथवा स्थानीय प्राधिकारी अथवा अन्य श्रोतों से प्राप्त अनुदान के सदुपयोग के अनुश्रवण के साथ ही निम्नलिखित कृत्यों का भी निष्पादन करेगी, जिसके लिए वह अपने सदस्यों में से लघुतर कार्य–समूहों का गठन कर सकती है–

(क) सरल एवं रचनात्मक तरीके से अधिनियम में प्रतिपादित बालक के अधिकार एवं माता–पिता एवं संरक्षक, स्थानीय प्राधिकारी तथा राज्य सरकार के कर्त्तव्यों के विषय में विद्यालय के आसपास की आबादी को अवगत कराना;

(ख) धारा 24 के खण्ड (क) एवं (ड) तथा धारा 28 के समुचित कार्यान्वयन हेतु यह सुनिश्चित करना कि विद्यालय के अध्यापकगण विद्यालय में उपस्थित होने में नियमितता एवं समयनिष्ठा बनाये रखें, संरक्षकों एवं माता–पिता के साथ नियमित बैठकें करें और बालक की निरन्तर उपस्थिति, सीखने की क्षमता, सीखने में की गयी प्रगति और अन्य कोई प्रासंगिक सूचना के बारे में अवगत करायें और यह कि कोई अध्यापक निजी ट्यूशन या निजी अध्यापन में लिप्त नहीं है;

(ग) अधिनियम की धारा 27 के कार्यान्वयन हेतु यह अनुश्रवण करना कि अध्यापकों पर दसवार्षिकी आपदा जनगणना, आपदा राहत कर्त्तव्यों अथवा यथास्थिति स्थानीय प्राधिकारी या राज्य विधान मंडल अथवा संसद के निर्वाचन सम्बन्धी कर्त्तव्यों के अतिरिक्त अन्य किसी गैर शैक्षणिक कर्त्तव्यों का भार न डाला जाये;

(घ) विद्यालय में आस–पास के सभी बालकों का नामांकन एवं उनकी निरन्तर उपस्थिति सुनिश्चित करना;

(ङ) अनुसूची में विनिर्दिष्ट प्रतिमानों एवं मानकों के रखरखाव का अनुश्रवण करना;

(च) बालक के अधिकारों के किसी भी अपसरण से, विशेष रूप से बालकों का मानसिक एवं भौतिक उत्पीड़न, प्रवेश देने से इंकार और धारा 3 (2) के अनुसार निःशुल्क हकदारियों के समयान्तर्गत उपलब्ध को स्थानीय प्राधिकारियों के संज्ञान में लाना;

(छ) जहाँ किसी बालक की आयु छः वर्ष से अधिक है और उसे किसी विद्यालय में प्रवेश नहीं दिया गया है, वहाँ उसके आयु–संगत अधिगम स्तर हेतु आवश्यकताओं का चिह्नांकन, योजना तैयार करना और विशेष प्रशिक्षण के कार्यान्वयन का अनुश्रवण करना;

(ज) निःशक्तताग्रस्त बालकों का चिह्नांकन एवं नामांकन तथा विद्यार्जन के लिए उनकी सुविधाओं और उनकी सहभागिता सुनिश्चित करना एवं प्रारंभिक शिक्षा पूरी होने का अनुश्रवण करना;

(झ) विद्यालय में मध्याह्न भोजन कार्यक्रम के कार्यान्वयन का अनुश्रवण करना एवं उसकी समृद्धि सुनिश्चित करना;

(ञ) विद्यालय की अभिप्राप्तियों एवं व्यय का अनुश्रवण करना।

(9) विद्यालय प्रबन्ध समिति को अधिनियम के अधीन अपने

कृत्यों के निर्वहन हेतु जो भी धनराशि प्राप्त हो उसे पृथक लेखा में रखा जायेगा एवं उक्त लेखा वार्षिक संपरीक्षा हेतु उपलब्ध कराया जायेगा।

(10) उपनियम (9) में निर्दिष्ट लेखों पर विद्यालय प्रबन्ध समिति के अध्यक्ष/उपाध्यक्ष एवं सदस्य-सचिव द्वारा हस्ताक्षर किये जायेंगे और उनके तैयार होने के एक माह के अन्दर सम्बन्धित प्राधिकारियों को उपलब्ध कराया जायेगा।

विद्यालय विकास योजना की तैयारी

विद्यालय प्रबन्ध समिति वित्तीय वर्ष की समाप्ति से कम से कम तीन माह पूर्व विद्यालय विकास योजना तैयार करेगी। यह विकास योजना तीन वर्षीय होगी। इन तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष की अलग-अलग उपयोजना भी बनायी जायेगी। निर्धारित लक्ष्यों की प्राप्ति हेतु कार्ययोजना का निर्माण भी होगा। इस विकास योजना में प्रत्येक वर्ष के लिए कक्षावार नामांकन का प्राकल्लन (इस्टीमेट) किया जायेगा और उसी के आधार पर कक्षा 1-5 तक तथा कक्षा 6-8 तक अतिरिक्त अध्यापक/प्रधानाध्यापकों की आवश्यकता का आंकलन भी किया जायेगा। इसके साथ अतिरिक्त अवसंरचना तथा उपस्कर आदि की भौतिक आवश्यकताओं का भी प्राकल्लन कर तीन वर्षीय योजना में समावेश किया जायेगा।

निःशुल्क पाठ्य-पुस्तकों की आवश्यकताओं के अतिरिक्त वित्तीय आवश्यकतायें यथा आयु-संगत कक्षा में प्रविष्ट बच्चों के विशेष प्रशिक्षण आदि उत्तरदायित्वों को पूरा करने में वित्तीय आवश्यकताओं का आंकलन कर योजना में समावेश किया जायेगा। विद्यालय प्रबन्ध समिति के अध्यक्ष/उपाध्यक्ष एवं सदस्य-सचिव द्वारा यह विकास योजना हस्ताक्षरित की जायेगी और सक्षम स्तर तथा सम्बन्धित प्राधिकारियों के पास इसे प्रस्तुत किया जायेगा।

उपर्युक्त के अनुसार कार्यवाही सुनिश्चित करने हेतु निदेशक शिक्षा (बेसिक) आवश्यक निर्देश प्रसारित करेंगे। समस्त मण्डलीय, जनपदीय और विकासखण्ड से सम्बन्धित शिक्षा अधिकारी विद्यालय प्रबन्ध समिति का गठन 31 जुलाई, 2011 तक प्रत्येक दशा में सुनिश्चित करायेंगे। तदन्तर वर्णित कार्य एवं दायित्वों के निर्वहन हेतु एस0सी0ई0आर0टी0/जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान द्वारा इस समिति का प्रशिक्षण 30 सितम्बर तक कैसकेड मोड में बी0आर0सी0 स्तर पर सुनिश्चित कराया जायेगा। इसके पूर्व यह आवश्यक होगा कि रिसोर्स परसन, मास्टर ट्रेनर तथा साहित्य एस0सी0ई0आर0टी0 द्वारा तैयार करा लिया जाए। यह प्रशिक्षण माड्यूल 15 जुलाई तक अवश्य

तैयार करा लिया जाए तथा 15 जून से 15 जुलाई के मध्य रिसोर्स परसन का प्रशिक्षण सुनिश्चित किया जाए साथ ही 31 जुलाई तक मास्टर ट्रेनर का प्रशिक्षण जनपद के जिला शिक्षा और प्रशिक्षण संस्थान स्तर पर सुनिश्चित किया जायेगा। निदेशक एस0सी0ई0आर0टी0 तदनुसार आवश्यक तैयारी कराने की कार्यवाही करेंगे।

2— कृपया तदनुसार आवश्यक कार्यवाही सुनिश्चित करें ।

भवदीय,

डी0के0 सिंह
विशेष सचिव।

संख्या व दिनांक तदैव

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :—

1. राज्य परियोजना निदेशक, उ0प्र0 सर्वा के लिए शिक्षा परियोजना परिषद, लखनऊ ।
2. निदेशक, राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद, उ0प्र0 लखनऊ।
3. समस्त जिलाधिकारी, उ0 प्र0 ।
4. समस्त सहायक मण्डलीय शिक्षा निदेशक (बेसिक)/जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी, उ0 प्र0 ।
5. गार्ड फाइल ।

आज्ञा से,

(इन्द्रराज सिंह)
अनुसचिव ।
27

संख्या– 2223/79–5–2012–29/09 टी0सी0–11

प्रेषक,

सुनील कुमार,
सचिव,
उ0प्र0 शासन।

सेवा में,

राज्य परियोजना निदेशक,
सर्व शिक्षा अभियान,,
लखनऊ ।

शिक्षा अनुभाग–5 लखनऊः दिनांक 06 जुलाई, 2012

विषयः **निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम, 2009 के परिप्रेक्ष्य में विद्यालय संबंधी विभिन्न कार्य विद्यालय प्रबंध समितियों के माध्यम से कराये जाने के संबंध में ।**

महोदय,

कृपया राज्य परियोजना निदेशक, सर्व शिक्षा अभियान के पत्रांक नि0का0/एसएसए/वि0प्र0सं0/ 1192/2012–13 दिनांक 20, जून, 2012 का संदर्भ ग्रहण करें जिसके द्वारा भारत सरकार के निर्देशों के क्रम में सर्व शिक्षा अभियान के अंतर्गत स्वीकृत विद्यालय निर्माण कार्य, विद्यालय रख–रखाव, विद्यालय विकास अनुदान, शिक्षक अनुदान छात्र–छात्राओं को निःशुल्क यूनीफार्म एवं अन्य कार्य **" विद्यालय प्रबंध समिति"** के माध्यम से कराये जाने का प्रस्ताव शासन को उपलब्ध कराया गया है।

विगत वर्षों में सर्व शिक्षा अभियान के अंतर्गत स्वीकृत विभिन्न विद्यालय निर्माण कार्यों जैसे– विद्यालय भवन, अतिरिक्त कक्षा–कक्ष, शौचालय, चहारदीवारी एवं विद्यालय अनुरक्षण, विद्यालय विकास अनुदान, शिक्षक अनुदान आदि कार्यों के क्रियान्वयन हेतु धनराशि **ग्राम शिक्षा समितियों** के खाते में स्थानान्तरित करते हुए यह सभी कार्य ग्राम शिक्षा समितियों के माध्यम से कराये जाने की व्यवस्था रही है।

उल्लेखनीय है कि निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम, 2009 के परिप्रेक्ष्य में शासनादेश संख्या 1739/79–5–2011–29/2009 टी0सी0 दिनांक 28 जून, 2011 द्वारा **"विद्यालय प्रबंध समिति"** का गठन सभी विद्यालयों में किया गया है। अधिनियम में यह भी प्रावधान है कि विद्यालयों के विभिन्न कार्यों को विद्यालय प्रबंध समितियों के माध्यम से क्रियान्वित कराया जायें।

सर्व शिक्षा की वार्षिक कार्ययोजना एवं बजट 2012–13 के सम्बन्ध में भारत सरकार के प्रोजेक्ट एप्रूवल बोर्ड की बैठक दिनांक 18–5–2012 के कार्यवृत्त में यह निर्देश दिये गये हैं कि विद्यालय प्रबंध समितियों का गठन कराया जाये एवं उनके खाते खोले जायें ताकि शिक्षक अनुदान, विद्यालय निर्माण कार्य, विद्यालय अनुरक्षण अनुदान, विद्यालय विकास अनुदान, यूनीफार्म एवं इसी प्रकृति के अन्य कार्यों पर विद्यालय प्रबंध समिति के द्वारा ही सर्व शिक्षा अभियान के मापदण्डों/मानकों के अनुसार व्यय करना सुनिश्चित किया जाये।

उपर्युक्त परिप्रेक्ष्य में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि वित्तीय वर्ष 2012–13 में सर्व शिक्षा अभियान के अंतर्गत स्वीकृत निम्नलिखित कार्यों हेतु धनराशि विद्यालय प्रबन्ध समितियों के खाते में हस्तान्तरित की जायेगी और यह कार्य केवल विद्यालय प्रबन्ध समितियों के माध्यम से ही क्रियान्वित किये जायेगें

1. विद्यालयों में समस्त प्रकार के निर्माण कार्य जैसे– विद्यालय भवन, अतिरिक्त कक्षा–कक्ष, चहारदीवारी, शौचालय, ओवर हेड टैंक।
2. विद्यालय भवन की मरम्मत एवं रख–रखाव।
3. विद्यालय विकास अनुदान।
4. शिक्षक अनुदान।
5. विद्यालय में छात्र–छात्राओं के लिए यूनीफार्म उपलब्ध कराना।
6. इस प्रकृति के कोई अन्य कार्य, जो राज्य परियोजना निदेशक, सर्व शिक्षा अभियान द्वारा स्वीकृत हों एवं जारी निर्देशों से आच्छादित हों।

मुझे यह भी कहने का निदेश हुआ है कि विद्यालय निर्माण कार्यों के दायित्व से विद्यालय के प्रधानाध्यापक/अध्यापक को मुक्त रखा जायेगा। विद्यालय निर्माण कार्यों के सम्बन्ध में व्यवस्था निम्नवत् की जायेगी:–

- विद्यालय सम्बन्धी समस्त निर्माण कार्य के कार्यान्वयन हेतु विद्यालय प्रबन्ध समिति के सदस्यों में से 04 सदस्यों की उप समिति निम्नवत् गठित की जाती है:
  1. विद्यालय प्रबन्ध समिति के अध्यक्ष
  2. विद्यालय प्रबन्ध समिति के 02 अभिभावक सदस्य
  3. विद्यालय प्रबन्ध समिति में समिति द्वारा नामित पदेन शासकीय सेवक, जो विद्यालय प्रबन्ध समिति का सदस्य हो (शिक्षकों से भिन्न)।
- किसी विवाद की स्थिति में पदेन शासकीय सेवक के संबंध में बेसिक शिक्षा अधिकारी के प्रस्ताव पर जिलाधिकारी द्वारा निर्णय लिया जायेगा।
- उक्त उप समिति के 02 अभिभावक सदस्यों का चयन विद्यालय प्रबन्ध समिति द्वारा बैठक/बहुमत के आधार पर किया जायेगा। उप समिति के समस्त सदस्यों के विवरण यथा परिवार रजिस्टर, मतदाता सूची में विवरण को भी प्रधानाध्यापक द्वारा अपने अभिलेखों में सुरक्षित रखा जायेगा तथा सदस्यों के मोबाईल नम्बर भी अपने अभिलेखों में सुरक्षित रखे जायेगें।
- विद्यालय निर्माण हेतु गठित उक्त उप समिति के न्यूनतम 03 सदस्यों द्वारा विद्यालय निर्माण सामग्री का क्रय किया जायेगा। क्रय की गयी सामग्री का विवरण अध्यापक द्वारा साईट पंजिका में प्रधानाध्यापक की उपस्थिति में अंकन किया जायेगा।
- निर्माण कार्य एवं अन्य उपरोक्त वर्णित कार्य सर्व शिक्षा अभियान द्वारा स्वीकृत डिज़ाइन/मैनुअल एवं स्वीकृत इकाई लागत के अनुसार कराया जायेगा।
- बेसिक शिक्षा अधिकारी द्वारा प्रधानाध्यापक के माध्यम से विद्यालय प्रबन्ध समिति को डिजाइन/मैनुअल इत्यादि उपलब्ध कराना सुनिश्चित किया जायेगा ताकि समिति को आधारभूत नियमों/विशिष्टियों एवं प्राविधानों की जानकारी रहे।

- निर्माण सामग्री की गुणवत्ता 03 सदस्यों द्वारा प्रमाणित की जायेगी, जिसमें से 01 सदस्य पदेन शासकीय सेवक होगा।
- मजदूरों की व्यवस्था विद्यालय प्रबन्ध समिति के अध्यक्ष या किसी एक अभिभावक सदस्य द्वारा की जायेगी और साईट पंजिका में सामग्री क्रय तथा मजदूरों को किये गये भुगतान का विवरण अंकित किया जायेगा।
- उप समिति के सदस्यों द्वारा निर्माण कार्य/अन्य उपरोक्त वर्णित कार्य में क्रय/मजदूरी/ढुलाई अन्य सम्बन्धित वाउचर पर तिथि सहित प्रश्नगत कार्य को प्रतिहस्ताक्षरित किया जायेगा। यदि सदस्य किसी बिन्दु से असहमत हैं तो उनके द्वारा तद्नुसार अंकित भी किया जायेगा।
- समस्त निर्माण कार्यो को सम्पत्ति रजिस्टर (Asset Register) में तथा क्रय की गयी वस्तुओं को स्टाक रजिस्टर में अंकित किया जायेगा।
- निर्माण कार्यो की अलग–अलग पत्रावलियां बनायी जायेंगीं जिसमें प्रश्नगत निर्माण के संबंध में कार्यवृत्त, डिजाईन, मैनुअल, प्राप्त सामग्री एवं रसीदों आदि को व्यवस्थित किया जायेगा तथा साईट पंजिका भी साथ में रखी जायेगी। यह अभिलेख प्रधानाध्यापक द्वारा सुरक्षित रखने की व्यवस्था की जायेगी एवं आवश्यकता पड़ने पर उपसमिति के उपयोगार्थ उपलब्ध कराना सुनिश्चित किया जायेगा।
- चूँकि निर्माण कार्य का आडिट भी प्रावधानित है अतः आडिट के समय प्रधानाध्यापक द्वारा इन अभिलेखों को प्रस्तुत करना भी सुनिश्चित किया जायेगा।
- निर्माण शुरू होने के पूर्व, निर्माण के मध्य एवं निर्माण पूर्ण होने के उपरान्त प्रधानाध्यापक द्वारा प्रश्नगत भवन की फोटो भी खिंचवाकर साक्ष्य के रूप में रखी जायेगी।

विद्यालय के प्रधानाध्यापक/प्रभारी प्रधानाध्यापक द्वारा निर्माण कार्य की गुणवत्ता की निगरानी की जायेगी और गुणवत्ता सम्बन्धित शिकायत होने पर लिखित रूप में विकास खण्ड के खण्ड शिक्षा अधिकारी को स्पष्ट विवरण सहित सूचित किया जायेगा। खण्ड शिक्षा अधिकारी द्वारा प्रश्नगत शिकायत के प्राप्त होने पर ग्रामीण अभियंत्रण सेवा / ग्रामीण अभियंत्रण विभाग के अवर अभियन्ता के साथ प्रश्नगत निर्माण कार्य की जांच करने के उपरांत बेसिक शिक्षा अधिकारी को आख्या प्रस्तुत की जायेगी।

प्रधानाध्यापक/प्रभारी प्रधानाध्यापक का यह दायित्व होगा कि विद्यालय निर्माण हेतु गठित उप समिति की संस्तुतियों के आधार पर वांछित धनराशि विद्यालय प्रबन्ध समिति के खाते से निकलवाने में अध्यक्ष, विद्यालय प्रबन्ध समिति को सहयोग प्रदान करेंगे ताकि धनराशि का आहरण न होने से निर्माण कार्य में व्यवधान होने की स्थिति उत्पन्न न हो।

विद्यालय निर्माण कार्यो के अतिरिक्त अन्य उल्लिखित कार्यो के क्रियान्वयन हेतु विद्यालय प्रबन्ध समिति के अध्यक्ष एवं विद्यालय के प्रधानाध्यापक/प्रभारी प्रधानाध्यापक अधिकृत होंगे।

विद्यालय प्रबन्ध समिति का खाता राष्ट्रीयकृत बैंक/शिड्यूल्ड बैंक में खोला जायेगा एवं विद्यालय प्रबन्ध समिति के अध्यक्ष एवं विद्यालय के प्रधानाध्यापक/प्रभारी प्रधानाध्यापक द्वारा संयुक्त रूप से संचालित किया जायेगा एवं खण्ड शिक्षा अधिकारी तथा बेसिक शिक्षा अधिकारी को अवगत कराना सुनिश्चित किया जायेगा। बिना बेसिक शिक्षा अधिकारी की लिखित अनुमति के खाते को किसी अन्य बैक में स्थानान्तरित करने अथवा नया खाता खोलने की कार्यवाहीं नहीं

की जा सकेगी। प्रत्येक वर्ष माह जुलाई में विद्यालय प्रबन्ध समिति तथा निर्माण हेतु गठित उप समिति के अभिभावक सदस्यों को अद्यतन किया जायेगा और तदनुसार खाता संचालन में, यथावश्यकता, संशोधन बेसिक शिक्षा अधिकारी की अनुमति प्राप्त करने के उपरान्त किया जायेगा। विद्यालय के खाते का विधिवत् रख–रखाव तथा अभिलेख रखने का दायित्व विद्यालय के प्रधानाध्यापक का होगा और ऑडिट के समय समस्त अभिलेख उपलब्ध कराना सुनिश्चित किया जायेगा।

बेसिक शिक्षा अधिकारी द्वारा निर्माण कार्यों की प्रगति तथा गुणवत्ता को सुनिश्चित करने हेतु प्रत्येक माह खण्ड शिक्षा अधिकारियों के माध्यम से निरीक्षण की व्यवस्था सुनिश्चित की जायेगी। जिला मजिस्ट्रेट द्वारा यथा आवश्यकता निर्माण कार्यों की जांच एक टीम, जिसमें दो विभागों के अभियन्ता हों तथा एक शिक्षा विभाग के अधिकारी हों, के द्वारा जांच कराने की कार्यवाही की जायेगी। गंभीर शिकायतों के प्राप्त होने पर जिलाधिकारी द्वारा कार्य पालक मजिस्ट्रेट से जांच कराने का भी का विकल्प होगा।

कृपया उपरोक्तानुसार कार्यवाही सुनिश्चित करायें।

भवदीय,

(सुनील कुमार)
प्रमुख सचिव।

संख्या 2223 /79–5–2012 तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:–

1. मण्डलायुक्त, समस्त मण्डल, उ0प्र0।
2. जिलाधिकारी, समस्त जनपद, उ0प्र0।
3. शिक्षा निदेशक (बेसिक), उ0प्र0 लखनऊ को समुचित अनुश्रवण हेतु।
4. मण्डलीय सहायक शिक्षा निदेशक (बेसिक), समस्त मण्डल।
5. जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी, समस्त जनपद, उ0प्र0।
6. गार्ड बुक।

आज्ञा से,

(इन्द्रराज सिंह)
अनुसचिव।

सर्व शिक्षा अभियान

सब पढ़ें सब बढ़ें

राज्य परियोजना कार्यालय,

उ0प्र0 सभी के लिए शिक्षा परियोजना परिषद, विद्या भवन, निशातगंज, लखनऊ -226 007

सेवा में,

जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी,
सर्व शिक्षा अभियान,
समस्त जनपद उ0प्र0।

पत्रांक अधि0/यूनिफार्म--1/2099/2012--13 लखनऊ दिनांक 07 अगस्त ~~जुलाई~~ 2012

विषयः **सर्व शिक्षा अभियान के अन्तर्गत सभी वर्ग की बालिकाओं, अनुसूचित जाति/अनु0 जनजाति तथा गरीबी रेखा के नीचे रहने वाले परिवार के बालकों को निःशुल्क यूनिफार्म उपलब्ध कराये जाने के सम्बन्ध में।**

महोदय,

निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 एवं तत्सम्बन्धी राज्य सरकार की नियमावली 2011 के परिप्रेक्ष्य में सर्व शिक्षा अभियान की वार्षिक कार्ययोजना एवं बजट 2012–13 की भारत सरकार की प्रोजेक्ट एप्रूवल बोर्ड द्वारा दी गयी स्वीकृति के आधार पर राजकीय, परिषदीय तथा सहायता प्राप्त प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक विद्यालयों और सहायता प्राप्त मदरसों में अध्ययनरत् कक्षा 01 से 08 तक की सभी बालिकाओं तथा अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति तथा गरीबी रेखा के नीचे रहने वाले परिवार के समस्त बालकों को निःशुल्क यूनिफार्म दिये जाने हेतु प्रति छात्र--छात्रा दो सेट यूनिफार्म हेतु ₹ 400/-- की दर से कार्ययोजना स्वीकृत की गयी है। अतः उक्त श्रेणी के छात्र--छात्राओं को दो सेट यूनिफार्म उपलब्ध कराने हेतु ₹ 400/-- प्रति छात्र--छात्रा की दर से कुल ₹ 70202.04 लाख की धनराशि अवमुक्त की जा रही है जिसका जनपदवार विवरण संलग्न है।

आवंटित बजट की धनराशि का उपयोग किये जाने हेतु निर्देश निम्नवत हैं :--

1. उपरोक्त श्रेणी के विद्यालयों में कक्षा 1 से 8 तक अध्ययनरत् सभी बालिकाओं तथा अनूसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और बी0पी0एल0 परिवार के बालको को 02 सेट निःशुल्क यूनिफार्म निर्धारित समय सारणी के अनुसार प्राथमिकता के आधार पर उपलब्ध करायी जाये।

2. परिषदीय विद्यालयों में निःशुल्क यूनिफार्म की धनराशि विद्यालय प्रबन्ध समिति के खातों में उपलब्ध करायी जायेगी। राजकीय माध्यमिक विद्यालयों में यह धनराशि "विद्यालय विकास एवं प्रबन्ध समिति" के खातों में उपलब्ध करायी जायेगी। यूनिफार्म की आपूर्ति हेतु कार्यवाही विकेन्द्रीकृत रूप में विद्यालय प्रबन्ध समिति/विद्यालय विकास एवं प्रबन्ध समिति द्वारा चयनित चार सदस्यीय क्रय समिति द्वारा की जायेगी। किसी भी स्थिति में किसी भी स्तर पर निःशुल्क यूनिफार्म के क्रय की कार्यवाही का केन्द्रीकरण नही किया जायेगा।

3. जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी द्वारा खण्ड शिक्षा अधिकारी के माध्यम से विद्यालयवार छात्र--छात्राओं की उपस्थिति प्राप्त की जायेगी। छात्र--छात्राओं के प्रवेश के दिनांक से 31.08.2012 तक की अवधि में न्यूनतम उपस्थिति 70 प्रतिशत होना आवश्यक है और तदनुसार धनराशि विद्यालय प्रबन्ध समिति/विद्यालय विकास एवं प्रबन्ध समिति को हस्तान्तरित की जाये। छात्र--छात्राओं की विद्यालयवार उपस्थिति उपलब्ध कराने का दायित्व खण्ड शिक्षा अधिकारी का होगा।

D:\Shahid\2011 & 2012\Application\BSA\AC+SA\Uniform Issue 2012-13.doc

दूरभाष : 2780995, 2781316 फैक्स : 0522-2781123, 2780998, 2781316 ई-मेल : spdup@rediffmail.com; upefa@upefa.com; upefaspo@gmail.com

सर्व शिक्षा अभियान
सब पढ़ें सब बढ़ें
राज्य परियोजना कार्यालय,
उ0प्र0 सभी के लिए शिक्षा परियोजना परिषद, विद्या भवन, निशातगंज, लखनऊ -226 007

सेवा में,

जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी,
सर्व शिक्षा अभियान,
समस्त जनपद उ0प्र0।

पत्रांक अधि0/यूनिफार्म–1/2099/2012–13 लखनऊ दिनांक 07 ~~जुलाई~~ अगस्त 2012

विषयः **सर्व शिक्षा अभियान के अन्तर्गत सभी वर्ग की बालिकाओं, अनुसूचित जाति/अनु0 जनजाति तथा गरीबी रेखा के नीचे रहने वाले परिवार के बालकों को निःशुल्क यूनिफार्म उपलब्ध कराये जाने के सम्बन्ध में।**

महोदय,

निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 एवं तत्सम्बन्धी राज्य सरकार की नियमावली 2011 के परिप्रेक्ष्य में सर्व शिक्षा अभियान की वार्षिक कार्ययोजना एवं बजट 2012–13 की भारत सरकार की प्रोजेक्ट एप्रूवल बोर्ड द्वारा दी गयी स्वीकृति के आधार पर राजकीय, परिषदीय तथा सहायता प्राप्त प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक विद्यालयों और सहायता प्राप्त मदरसों में अध्ययनरत् कक्षा 01 से 08 तक की सभी बालिकाओं तथा अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति तथा गरीबी रेखा के नीचे रहने वाले परिवार के समस्त बालकों को निःशुल्क यूनिफार्म दिये जाने हेतु प्रति छात्र–छात्रा दो सेट यूनिफार्म हेतु ₹ 400/– की दर से कार्ययोजना स्वीकृत की गयी है। अतः उक्त श्रेणी के छात्र–छात्राओं को दो सेट यूनिफार्म उपलब्ध कराने हेतु ₹ 400/– प्रति छात्र–छात्रा की दर से कुल ₹ 70202.04 लाख की धनराशि अवमुक्त की जा रही है जिसका जनपदवार विवरण संलग्न है।

आवंटित बजट की धनराशि का उपयोग किये जाने हेतु निर्देश निम्नवत हैं :–

1. उपरोक्त श्रेणी के विद्यालयों में कक्षा 1 से 8 तक अध्ययनरत् सभी बालिकाओं तथा अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और बी0पी0एल0 परिवार के बालको को 02 सेट निःशुल्क यूनिफार्म निर्धारित समय सारणी के अनुसार प्राथमिकता के आधार पर उपलब्ध करायी जाये।

2. परिषदीय विद्यालयों में निःशुल्क यूनिफार्म की धनराशि विद्यालय प्रबन्ध समिति के खातों में उपलब्ध करायी जायेगी। राजकीय माध्यमिक विद्यालयों में यह धनराशि "विद्यालय विकास एवं प्रबन्ध समिति" के खातों में उपलब्ध करायी जायेगी। **यूनिफार्म की आपूर्ति हेतु कार्यवाही विकेन्द्रीकृत रूप में विद्यालय प्रबन्ध समिति/विद्यालय विकास एवं प्रबन्ध समिति द्वारा चयनित चार सदस्यीय क्रय समिति द्वारा की जायेगी। किसी भी स्थिति में किसी भी स्तर पर निःशुल्क यूनिफार्म के क्रय की कार्यवाही का केन्द्रीकरण नहीं किया जायेगा।**

3. जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी द्वारा खण्ड शिक्षा अधिकारी के माध्यम से विद्यालयवार छात्र–छात्राओं की उपस्थिति प्राप्त की जायेगी। छात्र–छात्राओं के प्रवेश के दिनांक से 31.08.2012 तक की अवधि में न्यूनतम उपस्थिति 70 प्रतिशत होना आवश्यक है और तद्नुसार धनराशि विद्यालय प्रबन्ध समिति/विद्यालय विकास एवं प्रबन्ध समिति को हस्तान्तरित की जाये। छात्र–छात्राओं की विद्यालयवार उपस्थिति उपलब्ध कराने का दायित्व खण्ड शिक्षा अधिकारी का होगा।

D:\Shahid\2011 & 2012\Application\BSA\Ali SA\Uniform Issue 2012-13.doc

दूरभाष : 2780995, 2781316 फैक्स : 0522-2781123, 2780998, 2781316 ई-मेल : spdup@rediffmail.com; upefa@upefa.com; upefaspo@gmail.com

14. निःशुल्क यूनिफार्म से सम्बन्धित लेखों का रख–रखाव विद्यालय की उक्त क्रय समिति द्वारा किया जायेगा।

15. विद्यालय प्रबन्ध समिति द्वारा निःशुल्क यूनिफार्म का भुगतान आपूर्तिकर्ता को एकाउन्टपेयी चेक के माध्यम से किया जायेगा।

16. निःशुल्क यूनिफार्म हेतु आवंटित धनराशि का उपभोग प्रमाणपत्र विद्यालय की क्रय समिति द्वारा धनराशि प्राप्त होने के एक माह के अन्तर्गत खण्ड शिक्षा अधिकारी को उपलब्ध कराया जायेगा।

17. निःशुल्क यूनिफार्म से सम्बन्धित अभिलेखों व सैम्पलों का रखरखाव सम्यक प्रकार से इस तरह किया जायेगा कि सम्परीक्षा/अनुश्रवण के समय प्रस्तुत किया जा सके।

18. यूनिफार्म के क्रय के सम्बन्ध में सर्व शिक्षा अभियान के प्रोक्योरमेन्ट एवं वित्तीय मैनुअल के प्रावधानों का अनिवार्यतः पालन सुनिश्चित किया जाये।

19. छात्र–छात्राओं को निःशुल्क यूनिफार्म उपलब्ध कराते समय उनकी डिजिटल फोटो खींची जाये, जिसमें प्राधानाध्यापक/अध्यापक/विद्यालय प्रबन्ध समिति/विद्यालय विकास एवं प्रबन्ध समिति के सदस्य भी उपस्थित रहें। फोटो की प्रिन्टेड प्रति अभिलेखों में सुरक्षित रखी जाये।

20. छात्र–छात्राओं को यूनिफार्म उपलब्ध कराने हेतु निम्नलिखित समय सारिणी निर्धारित की जाती है :–

गतिविधि	अवधि/दिनांक
राज्य परियोजना कार्यालय से जनपदों को धनराशि का हस्तान्तरण।	14.08.2012 तक
जनपद स्तर पर विद्यालय प्रबन्ध समिति के खातों में धनराशि का हस्तान्तरण तथा जनपद स्तर से विद्यालय प्रबन्ध समिति को दिशा निर्देश जारी करना।	02.09.2012 तक
छात्र–छात्राओं के लिए यूनिफार्म हेतु कपड़े की व्यवस्था तथा सिलाई हेतु टेलर द्वारा नाप का कार्य।	05.09.2012 तक
वांछित संख्या में निर्धारित मानको एवं बच्चों की नाप के अनुरूप यूनिफार्म विद्यालयों में उपलब्ध कराया जाना।	26.09.2012 तक
विद्यालय प्रबन्ध समिति द्वारा यूनिफार्म का सत्यापन।	30.09.2012 तक
विद्यालय प्रबन्ध समिति द्वारा छात्र–छात्राओं को यूनिफार्म के वितरण हेतु निर्धारित तिथि।	02 अक्टूबर

कृपया उपर्युक्त निर्देशों के अनुसार कक्षा 1 से 8 तक अध्ययनरत सभी बालिकाओं तथा अनूसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति तथा गरीबी रेखा के नीचे रहने वाले परिवार के बालकों को 02 सेट यूनिफार्म का वितरण दिनांक 02 अक्टूबर, 2012 को सुनिश्चित करें तथा निर्धारित प्रारूप पर मासिक प्रगति की सूचना माह की 07 तारीख तक राज्य परियोजना कार्यालय को संलग्न प्रारूप पर उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें।

संलग्नकः–उक्तवत्।

भवदीय,

(अतुल कुमार)
राज्य परियोजना निदेशक

पृ0सं0. अधिष्ठान / यूनिफार्म–1 / 2049 / 2012–13 तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. प्रमुख सचिव, बेसिक शिक्षा, शिक्षा अनुभाग–5, उ0प्र0 शासन।
2. शिक्षा निदेशक (बेसिक) उ0प्र0 लखनऊ।
3. अपर परियोजना निदेशक, राज्य परियोजना कार्यालय, लखनऊ।
4. वित्त नियंत्रक, राज्य परियोजना कार्यालय, लखनऊ।
5. मण्डलीय सहायक शिक्षा निदेशक (बेसिक) समस्त मण्डल उ0प्र0।
6. सहायक वित्त एवं लेखाधिकारी, समस्त जनपद उ0प्र0।

(अतुल कुमार)
राज्य परियोजना निदेशक